प्र.सं. 57/2020 अन्तर्गत धारा 88,188,209 आरटी एक्ट
139 एलआर एक्ट, 151 सीपीसी
कृष्णलाल उर्फ गब्बर सिंह बनाम धर्मपाल आदि
सीसीएमएस : 2020/00130

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
23.11.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प ठण्डी में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने वाद प.अ प्रस्तुत कर चक 21/23 एनपी के मु.नं. 26 प.नं. 184/323 की कुल 1.265है. नहरी संयुक्त खाता में वादी के 1/2 हिस्सा की भूमि एवं इसी चक के मु.नं. 10 प.नं. 185/321 में वादी के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक साबुत नहरी व कि.नं. 6 में 0.228है. नहरी कुल 1.493है. नहरी भूमि की जमाबंदीयों में वादी के नाम गब्बर सिंह पुत्र रामप्रताप की जगह वादी का नाम कृष्णलाल पुत्र रामप्रताप के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने एवं घोषणा करने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 1 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का नाम गब्बर सिंह पुत्र रामप्रताप की जगह कृष्णलाल पुत्र रामप्रताप किया जाता है, तो कोई एतराज नहीं हैं। ना ही भविष्य में होगा। जवाब सरकार प्रस्तुत हुआ। तहसीलदार रायसिंहनगर को प्रकरण में जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर ने रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./21/1941 दिनांक 27.10.2021 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 21/23 एनपी के खाता सं. 11 के प.नं. 185/321 में 1.493है. नहरी रकबा गब्बर सिंह वल्द रामप्रताप कौम जाट साकिन ठण्डी के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। उक्त भूमि नामा. सं. 181 दिनांक 24.07.2008 बैयनामा द्वारा गब्बर सिंह वल्द रामप्रताप जाति जाट साकिन ठण्डी खातेदार दर्ज हुआ। व इसी चक के खाता सं. 12 के मु.नं. 26 प.नं. 184/323 में 1.265है. नहरी रकबा गब्बर सिंह, धर्मपाल पि. रामप्रताप कौम जाट साकिन ठण्डी खातेदार दर्ज हैं। गब्बर सिंह के द्वारा कृष्णलाल के संबंध में कोई राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। जिससे गब्बर सिंह के स्थान पर कृष्णलाल पुत्र रामप्रताप किया जाना संभव नहीं हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में नाम गब्बर सिंह अंकित हैं। रिपोर्ट तहसीदलदार अनुसार भूमि बैयनामा आधार पर वादी गब्बर सिंह के नाम से अमलदरामद की गयी हैं। वादी द्वारा जिन बैयनामों की प्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं। उसके नाम गब्बर सिंह अंकित हैं। अतः पत्रावली में ऐसा कोई ठोस आधार मौजूद नहीं हैं, जिसके आधार पर वादी का नाम गब्बर सिंह के स्थान पर कृष्णलाल दर्ज करने की दुरूस्ती की जा सके। लिहाजा उक्त विवेचन एवं रिपोर्ट तहसीलदार आधार पर वाद वादी खारिज किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 23.11.2021 को लिखाया जाकर मजमा ए आम में सुनाया गया। (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर कैम्प ठण्डी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2022.02.21 17:33:41 IST
Reason: SelfAttested